



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

website- msuniversity.ac.in

e-mail ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : १४७० / एन०एस०एस० / एम.एस.यू. / 2022-23

दिनांक: 22/03/23

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक
राष्ट्रीय सेवा योजना
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषय:- रा०से०यो० विशेष शिविरों के अन्तर्गत नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth) का सर्वे कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन के (छायाप्रति संलग्न) पत्र संख्या-119/सत्तर-रा०से०यो०-2023, दिनांक 22 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि रा०से०यो० से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों में गठित इकाईयों के माध्यम से अधिगृहीत गाँव/मलिन बस्ती में नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth) का सर्वे कार्य किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रा०से०यो० इकाईयों के माध्यम से उक्त सर्वे कार्य में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों (मास्टर प्रशिक्षक) का सहयोग प्राप्त कर अधिगृहीत गाँव/मलिन बस्ती में चल रहे शिविरों तथा दो सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले विशेष शिविरों के अन्तर्गत सर्वे कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सर्वे कार्य हेतु सर्वे फार्म के फोटोकापी आदि पर होने वाले व्यय सामान्य कार्यक्रम के मद से समायोजित किया जायेगा।

यथोपरि।

भवदीय,

(डा० भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो०, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं०-1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रेषक,

डा० सुनीता गुप्ता,
विशेष कार्याधिकारी एवं,
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

2- उप शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना-विशेष शिविरो के अन्तर्गत नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth) का सर्वे कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-4-102/रा०से०यो०/क्ष०नि०/लख/2022-23 दिनांक-17.03.2023 एवं दिनांक-20.03.2023 (छाया प्रतिसंलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, एवं उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उ०प्र० को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के माध्यम से अधिगृहीत गाँव/मलिन बस्ती में नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth) का सर्वे कार्य किया जाना अपेक्षित है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना-विशेष शिविरो के अन्तर्गत नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth) का सर्वे कार्य हेतु उत्तर प्रदेश से निम्न कार्यक्रम अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	कार्यक्रम अधिकारियों का नाम	महाविद्यालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	डा० सुनीता राठौर	जे०एन०पी०जी०कालेज, लखनऊ	9453439671
2.	डा० एकता चौहान	ए०के०पी०जी० कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर	9690042940
3.	डा० रचना	डी०एस०एन०पी०जी०कालेज, उन्नाव	7839296203
4.	डा० सन्ध्या तिवारी	एम०जी०पी०जी०कालेज, फिरोजाबाद	7652022793
5.	डा० गीता	जनता बैदिक कालेज, बड़ौत बागपत	7017190211
6.	डा० आलोक तिवारी	गनतप सहाय पी०जी० कालेज, सुल्तानपुर	9415920683
7.	डा० देवेन्द्र पाण्डेय	जी०एम०कालेज, बरदाह, आजमगढ़	8317021015
8.	डा० राजीव शुक्ला	एम०एम० टाउन डिग्री कालेज, बलिया	8858135065
9.	डा० एफ०एन० मिश्रा	एच०एन०बी०पी०जी० कालेज, लालगंज प्रतापगढ़	6388375828
10.	डा० जय प्रकाश श्रीवास्तव	आर०बी०एस कालेज, आगरा	9760760233

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, एवं उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों के माध्यम से उक्त सर्वे कार्य में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों (मास्टर प्रशिक्षक) का सहयोग प्राप्त कर अधिगृहीत गाँव/मलिन बस्ती में वर्तमान में चल रहे


विशेष शिविरों तथा अंतिम दो सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों के अन्तर्गत सर्वे कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सर्वे कार्य हेतु सर्वे फार्म के फोटोकापी आदि पर होने वाले व्यय विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षामण्डल द्वारा सामान्य कार्यक्रम के मद से समायोजित किया जाना है।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डॉ० (सुनीता गुप्ता)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।
✍

संख्या-119(1)/सत्तर-रा०से०यो०को०-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001
- 4- क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो०, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं०-1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

डॉ० (सुनीता गुप्ता)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।
✍



भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

सं०. 4-102/रासेयो/क्षेनि/लख/2022-23

दिनांक:- मार्च 17, 2023

सेवा में,

समस्त कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश.

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना -विशेष शिविरो के अंतर्गत नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth)का सर्वे कार्य ।
महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त विषयक समसंख्यक पत्र दिनांक 15 मार्च, 2023 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि उक्त सर्वे कार्य हेतु उत्तर प्रदेश से निम्न कार्यक्रम अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है :-
1. डा०रुनीता राठौर, जे०एन०पी०जी०कालेज, लखनऊ (मो०नं-9453439671) 2. डा०एकता चौहान, ए०के०पी०जी०कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर(मो०नं-9690042940) 3. डा०रचना, डी०एस०एन०पी०जी०कालेज, उन्नाव (मो०नं-7839296203) 04. डा०सन्ध्या, एम०जी०पी०जी०कालेज, फिरोजाबाद(मो०नं-7652022793) 05. डा०गीता, जनता बैदिक कालेज, बडौत, बागपत(मो०नं-7017190211) 06. डा०आलोक तिवारी, गनपत सहाय पी०जी०कालेज, सुल्तानपुर(मो०नं-9415920683) 07. डा०देवेन्द्र पाण्डेय, जी०एम०कालेज, बरदाह, आजमगढ़ (मो०नं-8317021015) 08. डा० राजीव शुक्ला, एम.एम०टाउन डिग्री कालेज, बलिया, (मो०नं-8858135065) 09. डा०एफ०एन०मिश्रा, एच०एन०बी०पी०जी०कालेज, लालगंज, प्रतापगढ़, (मो०नं-6388375828) 10. डा०जय प्रकाश श्रीवास्तव, आर०बी०एस कालेज, आगरा (मो०नं-9760760233)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सर्वे कार्य उपरोक्त कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क कर एवं सहयोग प्राप्त करनते हुए अधिग्रहीत गाँव/मलिन बस्ती में वर्तमान में चल रहे शिविरो तथा अंतिम दो सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले शिविरो के अंतर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । उक्त कार्य वर्तमान सत्र में ही सम्पूर्ण किया जाना है ।

संलग्नक:उक्तवत्

भवदीय

(समर दीप सक्सेना)
युवा अधिकारी

प्रतिलिपि:


1. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001
2. राज्य रासेयो अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से उक्त सर्वे कार्य रा०से०यो०इकाइयों से करवाना सुनिश्चित करें ।
3. समस्त मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं०.1. सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024, 3090

दूरभाष : 0522 2337066/4079533 ई०मेल-nssrclucknow@yahoo.com/nssrclucknow@gmail.com

Mv Sarraj

22.3.23



भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ

सं०. 4-102/रासेयो/क्षेनि/लख/2022-23

दिनांक:- मार्च 20, 2023

सेवा में,

समस्त कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना -विशेष शिविरो के अंतर्गत नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth)का सर्वे कार्य ।

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त विषयक समसंख्यक पत्र दिनांक 17 मार्च, 2023 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि समस्त संस्थाओं की समस्त इकाइयों द्वारा अधिग्रहीत ग्रामों अथवा मलिन बस्ती में नान स्टूडेंट युवाओं (Non Student Youth)का सर्वे कार्य किया जाना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सर्वे कार्य मास्टर प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क करें एवं सहयोग प्राप्त करते हुए अधिग्रहीत गाँव/मलिन बस्ती में वर्तमान में चल रहे शिविरो तथा अंतिम दो सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले शिविरो के अंतर्गत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । उक्त कार्य वर्तमान सत्र में ही सम्पूर्ण किया जाना है तथा उक्त सर्वे कार्य हेतु सर्वे फार्म के फोटोकापी आदि पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय/+2 मंडल द्वारा सामान्य कार्यक्रम गतिविधियों के मद से सहायोजित किया जा सकता है ।

संलग्नक:उक्तवत्

भवदीय
22/3/23
(डा०अशोक कुमार श्रोती)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001
2. राज्य रासेयो अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से उक्त सर्वे कार्य रा०से०यो०इकाइयों से करवाना सुनिश्चित करें ।
3. समस्त मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड ।

केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं०.1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024, 3090
दूरभाष : 0522.2337066/4078533 ई०मेल-nssrclucknow@yahoo.com/nssrclucknow@gmail.com

Mr Sarkar

22/3/23

अनुसूची: औपचारिक शिक्षा या नियमित रोजगार में नहीं रहने वाले युवाओं का सर्वेक्षण

एम 1: परिवार की पहचान के लिए नमूना		गोटा/प्रविष्टि	
प्रश्न संख्या	प्रश्न विवरण		
1.	राज्य का नाम		
2.	राज्य कोड (जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार)		
3.	जिले का नाम		
4.	जिला कोड (जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार)		
5.	ग्रामीण/शहरी (ग्रामीण-1, शहरी-2)		
6.	नगर/ग्राम का नाम		
7.	नगर/ग्राम कोड		
8.	एनएसएस इकाई (कोड)		
9.	प्रत्येक परिवार के लिए, क्या परिवार में 15-29 वर्ष की आयु का कोई सदस्य है जो सर्वेक्षण तिथि को न तो औपचारिक शिक्षा में है और न ही नियमित रोजगार में है? (हाँ-1, नहीं-2) [इस सर्वेक्षण के लिए नियमित रोजगार का अर्थ सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 6 महीनों की अवधि में वेतन या लाभ के लिए रोजगार होगा जो कि प्रमुख भाग (90 दिन या अधिक) में होगा] [इस सर्वेक्षण के लिए नियमित रोजगार का अर्थ सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 6 महीनों की अवधि के प्रमुख भाग (90 दिन या अधिक) में वेतन या लाभ के लिए रोजगार होगा।]		
यदि परिवार में 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में कम से कम एक व्यक्ति है जो सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार न तो औपचारिक शिक्षा में है और न ही नियमित रोजगार में है (यदि प्रश्न 9 में प्रविष्टि 1 है तो प्रभावती में शेष प्रश्न भरें) अन्यथा इस परिवार के लिए साक्षात्कार समाप्त करें			
10.	यदि प्रश्न 9 में 1 बताया है, तो 15-29 वर्ष आयु वर्ग में घर के सदस्यों की संख्या जो न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार नियमित रोजगार में हैं	पुरुष (ट्रांसजेंडर सहित)	महिला
11.	चयनित परिवार की संख्या (यदि प्रश्न 9 में प्रविष्टि 1 है, तो 01 से शुरू होने वाली 2-अंकीय क्रम संख्या दर्ज करें, यानी सर्वेक्षण के दिन घर में 15-29 वर्ष की आयु में कम से कम एक व्यक्ति है जो न तो औपचारिक शिक्षा में है और न ही नियमित रोजगार में है।)		
12.	क्या घर का कोई सदस्य है जिसने पिछले 30 दिनों के दौरान वेतन या लाभ के लिए किसी भी समयावधि के लिए काम किया हो? (हाँ-1, नहीं-2)		
13.	पिछले 30 दिनों के दौरान घरेलू आय की राशि		

<p>(रु. 5000 से कम -1, रु. 5001-10000-2, रु. 10001-20000-3, रु. 20001-30000-4, रु. 30001-40000-5, रु. 40001-50000-6, रु. 50001-75000 - 7, रु. 75001 - 100000 - 8, रु. 100000 से अधिक - 9)</p> <p>वेतन या लाभ के लिए रोजगार से आय के स्रोत, नकद में प्रेषण, ग्याज आय, भूमि के किराए से आय, भवन और अन्य संपत्ति (गृहि उपाकरण, कार, आदि), गैशन और नकद में अन्य हस्तांतरण राशियाँ)</p>	
--	--

एम 2: 15-29 वर्ष की आयु के परिवार के सदस्यों का विवरण जो सर्वेक्षण की तिथि को न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही नियमित रोजगार में हैं
 इस मांड्यूल में सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों की संख्या मांड्यूल एम 1 के प्रश्न संख्या 10 में प्रविष्टि के साथ मेल छाएगी। यह भी जांचे कि इस मांड्यूल में सूचीबद्ध पुरुषों की संख्या (ट्रांसजेन्डर सहित) एम1 में दर्ज की गई संख्या से मेल छाती है।

प्रश्न संख्या	प्रश्न विवरण	15-29 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही सर्वेक्षण तिथि पर नियमित रोजगार में हैं (घर के सदस्यों की आयु के अवरोही क्रम में रिकॉर्ड करें)				
		P1	P2	P3	P4	P5
1.	नाम					
2.	पिता का नाम					
3.	माता का नाम					
4.	लिंग (पुरुष-1, महिला-2, ट्रांसजेन्डर-3)					
5.	पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु पूर्ण वर्षों में					
6.	क्या वर्तमान में विवाहित हैं? (हां-1, नहीं-2)					
7.	यदि वर्तमान में विवाहित हैं, तो विवाह के समय की आयु (कोड: 15 वर्ष से कम -1, 15-19 वर्ष -2, 20-24 वर्ष -3, 25-29 वर्ष -4, 29 वर्ष से अधिक -5) (प्रश्न 6 में कोड 1 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा)					
8.	शिक्षा का उच्चतम स्तर मफलतापूर्वक पूरा किया (कोड - साक्षर नहीं-01, औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर-02, औपचारिक स्कूली शिक्षा: प्राथमिकता नीचे-03, प्राथमिक-04, मध्य-05, माध्यमिक-06, उच्च माध्यमिक-07, स्नातक स्तर से नीचे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र-08, स्नातक-09, स्नातकोत्तर-10, डॉक्टरेट की डिग्री और ऊपर -11) (स्नातक स्तर के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र को स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र को स्नातकोत्तर स्तर माना जायेगा)					

	<p>उनके लिए जो साक्षर नहीं है या जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर है, क्या कभी किसी औपचारिक शिक्षा में भाग लिया है? (हां-1, नहीं-2) (प्रश्न 8 में कोड 01 या 02 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा)</p>				
10.	<p>जो कभी औपचारिक शिक्षा में शामिल हुए लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर से नीचे डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया। औपचारिक शिक्षा छोड़ने का कारण</p> <p>कोड: शिक्षा में रुचि नहीं -01, आर्थिक तंगी- 02, घरेलू गतिविधियों में संलग्नता -03, वेतन या लाभ के लिए गतिविधियों में संलग्नता - 04, शिक्षण संस्थान दूर होने के कारण -05, शिक्षण संस्थान का समय उपयुक्त नहीं होने के कारण -06, निर्देशों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा/माध्यम से अपरिचित होने कारण -07 शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या -08 शिक्षकों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने कारण -10 शिक्षण संस्थान जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं होने कारण -11 पढाई से उबरने में असमर्थ/पढाई में असफलता-12 शिक्षण संस्थान में प्रतिकूल माहौल होने कारण -13 वांछित स्तर/कक्षा की पढाई पूरी की -14 प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी-15 शैक्षिक संस्थान में भेजने के लिए माता-पिता का दृष्टिकोण न होना - 16, छराब स्वास्थ्य या विपत्ता/गता के कारण -17, अन्य -19)</p> <p>(प्रश्न 08 में 03, 04, 05, या 06 में से कोई भी कोड या प्रश्न 09 में कोड 01)</p>				
11.	<p>जिन्होंने हायर सेकेंडरी या स्नातक स्तर से नीचे डिप्लोमा/गर्टिफिकेट पूरा किया है, क्या आपने कभी स्नातक स्तर की शिक्षा या स्नातक स्तर का डिप्लोमा/गर्टिफिकेट लिया है? (हां-1, नहीं-2) (प्रश्न 8 में कोड 07 और 08 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा)</p>				
12.	<p>उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी स्नातक स्तर की शिक्षा या स्नातक स्तर के कॉलेज का डिप्लोमा/गर्टिफिकेट में शामिल हुए, लेकिन कॉलेज की शिक्षा (स्नातक स्तर या डिप्लोमा/स्नातक स्तर का प्रमाण पत्र) पूरा नहीं किया। कॉलेज छोड़ने के कारण</p>				

	<p>कोड: शिक्षा में रुचि नहीं-01, आर्थिक तंगी- 02, परन्तु गतिविधियों में संलग्नता -03, वेतन या लाभ के लिए गतिविधियों में संलग्नता - 04, शिक्षण संस्थान दूर होने के कारण -05, शिक्षण संस्थान का समय उपयुक्त नहीं होने के कारण -06, निर्देशों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा/माध्यम से अपरिचित होने कारण -07 शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या -08 शिक्षकों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने कारण -10 शिक्षण संस्थान जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं होने कारण -11 पढाई से उबरने में असमर्थ/पढाई में असफलता-12 शिक्षण संस्थान में प्रतिकूल माहौल होने कारण -13 वांछित स्तर/कक्षा की पढाई पूरी की -14 प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी-15 शैक्षिक संस्थान में भेजने के लिए माता-पिता का इच्छुक न होना - 16, उदात्त स्वास्थ्य वा विकलांगता के कारण -17, अन्य -19)</p> <p>(कोड 1 प्रश्न 11 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा)</p>					
13.	<p>ज्ञात भाषाएँ (वहुविकल्प लागू हो सकते हैं) कोड: असमिया-01, बंगाली-02, गुजराती-03, हिंदी-04, कन्नड़-05, कश्मीरी-06, कोंकणी-07, मलयालम-08, मणिपुरी-09, मराठी-10, नेपाली-11, उडिया-12, पंजाबी- 13, संस्कृत-14, सिंधी-15, तमिल-16, तेलुगु-17, उर्दू-18, अंग्रेजी-19, बोडो-20, डोगरी-22, खासी-23, गारो-24, मिजो-25, भूटिया-26, लेपचा-27, लिम्बू-28, फ्रेंच-29, संथाली-39, मैथिली-51. अन्य भाषाएँ-99 (घर के सदस्य द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर अधिकतम 5 कोड रिकॉर्ड करें)</p>					
14.	<p>क्या आप वेतन के लिए काम हूँद रहे हैं? (हाँ-1, नहीं-2) [अगर घर के सदस्य रिपोर्ट करते हैं कि वे वर्तमान में काम की तलाश कर रहे हैं, तो कोड 1 दर्ज किया जाएगा]</p>					
15.	<p>यदि प्रश्न 14 में कोड 1 है, तो किस तरह के काम की तलाश में है (कोड: कृषि, खानिकी एवं मत्स्य पालन-01, खनन-02 उत्पादन-03, निर्माण-04, व्यापार-05, परिवहन एवं भंडारण-06, आवास</p>					

	एवं छाद्य सेवा गतिविधियाँ-07, सूचना एवं संचार-08, वित्तीय एवं बीमा गतिविधियाँ-09, रियल एस्टेट गतिविधियाँ -10, शिक्षा -11, मानव स्वास्थ्य -12, कला, मनोरंजन और मनोविनोद -13, अन्य -14)					
16.	क्या आप अगले 3 महीनों के दौरान कोई व्यवसाय (लाभ के लिए स्वरोजगार कार्य) शुरू करने की योजना बना रहे हैं? (हाँ-1, नहीं-2)					
प्रश्न 16 में कोड 1 वाले लोगों से प्रश्न 17 और प्रश्न 18 पूछे जाएंगे						
17.	यदि घर का कोई सदस्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, तो किस तरह का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है (कोड: कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन-01, खनन-02 उत्पादन-03, निर्माण-04, व्यापार-05, परिवहन एवं भंडारण-06, आवास एवं छाद्य सेवा गतिविधियाँ-07, सूचना एवं संचार-08, वित्तीय एवं बीमा गतिविधियाँ-09, रियल एस्टेट गतिविधियाँ -10, शिक्षा -11, मानव स्वास्थ्य -12, कला, मनोरंजन और मनोविनोद -13, अन्य -14)					
18.	यदि घर का कोई सदस्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, तो व्यवसाय के लिए धन का मुख्य स्रोत (कोड है स्वयं की वचत/परिवार के अन्य सदस्य की वचत-1, सरकार से -2, बैंक से-3, किसी अन्य वित्तीय संस्थान से-4, साहूकार से -5, मित्र से -6, रिश्तेदार से -7, अन्य-9)					
19.	प्रश्न 14 में कोड 2 और प्रश्न 16 में कोड 2 वालों के लिए, अगले 3 महीनों में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य योजना है? (कोड- उच्च अध्ययन में नामांकन के लिए -1, वंशानुगत व्यवसाय चलाना -2, घरेलू कर्तव्यों को पूरा करना -3, स्वीच्छिक कार्य / सामाजिक कार्य करना -4, फुर्सत के समय बिताना -5, अन्य -9)					
20.	क्या पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए किसी बैंक ऋण के लिए आवेदन किया है? (हाँ-1, नहीं-2)					
यदि प्रश्न 20 में कोड 1 है, तो प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक प्रश्न पूछें						
21.	आपने बैंक ऋण के लिए कब आवेदन किया था? (कोड: विगत 12 महीने-1, विगत 12 महीनेसे पहले कभी भी-2)					
22.	आपने किस उद्देश्य के लिए बैंक ऋण के लिए आवेदन किया था? (कोड: शिक्षा-1, नया व्यवसाय शुरू करना-2, घर खरीदना-3, कार खरीदना-4, शादी-5, बिथाम फाल (vacation) -6,					

	अन्य-9) (यदि एकाधिक कोड लागू होते हैं, तो धीक ऋण की उच्चतम राशि के लिए लागू कोड को रिकॉर्ड किया जाएगा)					
23.	क्या बैंक ऋण प्राप्त हुआ? (हाँ-1, नहीं-2)					
24.	यदि प्रश्न 23 में कोड 1 है, तो क्या आप इस उद्देश्य के लिए इन निधियों का उपयोग करने में सक्षम थे? (हाँ-1, नहीं-2)					
25.	क्या आपने पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए काम किया? (हाँ-1, नहीं-2) (कृपया यह नोट करें कि घर के सदस्य जिन्होंने वेतन या लाभ के लिए पिछले 6 महीनों के प्रमुख भाग से कम काम किया था या जिन्होंने पिछले 6 महीनों के दौरान प्रमुख भाग के लिए काम किया था लेकिन सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार वेतन या लाभ के लिए रोजगार में नहीं है उनके लिए कोड 1 निर्दिष्ट किया जाएगा)					
	प्रश्न 26 से प्रश्न 29 में प्रश्न 25 में कोड 1 वाले व्यक्ति के लिए भरे जाएंगे, प्रश्न 26 से प्रश्न 29 उस काम के संबंध में होगा जिसमें घर के सदस्य ने वेतन या लाभ के लिए काम किया जैसा कि प्रश्न 25 में बताया गया है					
26.	यदि वेतन या लाभ के लिए कार्यरत हैं, तो रोजगार की प्रकृति कोड: कृपि: मजदूरी/वेतन अर्जन-1 लाभ के लिए स्वरोजगार-2 गैर-कृपि: मजदूरी/वेतन अर्जन-3 लाभ के लिए स्वरोजगार -4 (यह प्रश्न 25 में कोड 1 वालों से पूछा जाएगा)					
27.	सर्वेक्षण तिथि पर, क्या घर का सदस्य वही काम कर रहा है जो उसने पिछले 6 महीनों के दौरान किया था? (हाँ-1, नहीं-2)					
28.	यदि घर का सदस्य उसी काम में लगा हुआ है जिसमें उसने पिछले 6 महीनों के दौरान काम किया था, घर के सदस्य ने पिछले 30 दिनों में उस काम में कितने दिन काम किया? (प्रश्न 27 में जिनके लिए 1 लिखा गया है।)					
29.	यदि परिवार का सदस्य उसी कार्य में नहीं रहता है जिसमें उसने पिछले 6 माह में कार्य किया है, तो उस कार्य को न करने का कारण (कोड: छंटनी/वरझास्तागी-1, अनुबंध की समाप्ति/कार्यमुक्त -2,					

	इन्फार्म का संचालन नहीं होना-3, क्षेत्र में कार्य की कमी-4, अन्य-5					
	(प्रश्न 27 में उन 2 के लिए)					
30.	यदि वर्तमान में विवाहित हैं, तो क्या पति/पत्नी 15-29 वर्ष की आयु के घर के सदस्य हैं और सर्वेक्षण तिथि पर न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही नियमित रोजगार में हैं? (हाँ-1, नहीं-2)					
	(यदि प्रश्न 6 में कोड 1 है तो यह प्रश्न पूछा जाएगा)					
31.	यदि पति या पत्नी 15-29 वर्ष की आयु के घर के सदस्य हैं और सर्वेक्षण तिथि पर न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही नियमित रोजगार में हैं सीरियल नंबर रिकॉर्ड करें (P2, P3, P4...), जिसके सामने पति या पत्नी का विवरण दर्ज किया गया है) (यदि प्रश्न 30 में कोड 1 लिखा है, तो यह प्रश्न पूछें)					
	यदि पति/पत्नी 15-29 वर्ष की आयु के घर के सदस्य हैं और सर्वेक्षण तिथि पर न तो औपचारिक शिक्षा में हैं और न ही नियमित रोजगार में हैं तो प्रश्न 32 और प्रश्न 33 पर जानकारी एकत्र न करें					
32.	यदि वर्तमान में विवाहित हैं, तो क्या आपका जीवनसाथी पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए नियोजित हैं? (हाँ-1, नहीं-2) (यदि प्रश्न 30 में कोड 2 है तो यह प्रश्न पूछा जाएगा)					
33.	जीवनसाथी के रोजगार की प्रकृति कोड: कृषि: मजदूरी/वेतन अर्जन-1 लाभ के लिए स्वरोजगार-2 गैर-कृषि: मजदूरी/वेतन अर्जन-3 लाभ के लिए स्वरोजगार -4 (यह सवाल उन लोगों से पूछा जाएगा जिनका प्रश्न 32 में कोड 1 है)					